- इस व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु अनुश्रवण एवं मुल्यांकन प्रणाली कार्यरत रहेगी।
- यह 5–दिवसीय अभियान सभी पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से पंचायत तथा ग्राम स्तर पर चलाया जाएगा।
- यह 5–दिवसीय जन जागरण अभियान बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा।

### जन जागरण अभियान की अपेक्षित उपलब्धियाँ :

- सभी 8471 मुखिया तथा 1,05,000 पंचायत राज प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, स्वजलधारा तथा पेयजल गुणवत्ता कार्यक्रमों में उनकी भूमिका एवं दायित्व की पूर्ण जानकारी।
- वैयक्तिक शौचालय, विद्यालय शौचालय तथा आँगनबाड़ी शौचालय की माँग में वृद्धि कर तत्काल आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान करना।
- शौचालय आच्छादन में वृद्धि। (कम से कम 5 लाख वैयक्तिक शौचालय प्रति वर्ष का निर्माण सुनिश्चित हो।)
- ग्रामीण परिवारों के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य आदतों को अपनाना जैसे शौचालय का उपयोग, भोजन के पूर्व तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, सुरक्षित स्रोत से पेयजल लेना, आदि।
- समुदाय के सहयोग से सतत रुप से शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराना एवं वर्षा जल संचयन करना।

## स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार

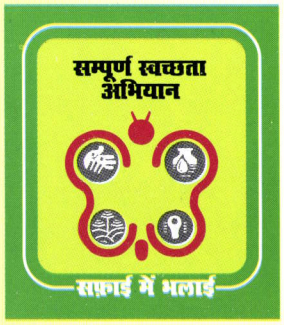


बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार

**बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन**
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।**

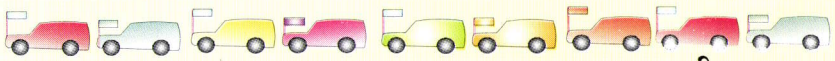

बिहार सरकार

**बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन**

# जन जागरण अभियान

### उद्देश्य

लोगों में जन जागृति के द्वारा स्वच्छता की माँग उत्पन्न कर बेहतर स्वास्थ्य की आदतों जैसे व्यक्तिगत शौचालय का उपयोग, शुद्ध पेयजल का उपयोग एवं भोजन के पूर्व तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोने से संबंधित आदतों को अपनाने के लिए उत्प्रेरित करना ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके।

### जन समुदाय आधारित कार्यक्रम

(क) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान : राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के आम लोगों को खुले में शौच करने की आदत से मुक्ति दिलाने एवं शौचालय का निर्माण कर उसके उपयोग करने तथा आनेवाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातारण एवं स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराना।

### कार्यक्रम के मुख्य प्रावधान :

- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक BPL परिवार को शौचालय बनवाने तथा उपयोग करने के लिए 1200/–रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय के दो ईकाईयों के निर्माण हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए 40,000/– रूपये का प्रावधान है।
- प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में शिशु–मित्र शौचालय के निर्माण के लिए 5,000/–रूपये का प्रावधान है।

(ख) स्वजलधारा: ग्रामीण जन समुदाय को शुद्ध, पर्याप्त एवं सतत जलापूर्ति व्यवस्था प्रदान करने के उदेश्य से भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक सहभागिता से कार्यान्वयन किया जानेवाले माँग आधारित "स्वजलधारा" कार्यक्रम वर्ष 2002 से ही पूरे देश में प्रारम्भ किया गया है। यह ग्रामीण सशक्तिकरण हेतु सामुदायिक सहभागिता तथा माँग आधारित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है।